राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्
डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल,, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,जयपुर–302017
दूरभाषः 0141–2709846 e-mail: aspdrmsaraj@gmail.com

क्रमांक–राप्राशिप / जय / संस्था–1 / सामान्य / 2018–19 / 6788 दिनांक– 25 / 9 / 2018

कार्यालय आदेश

स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के पत्र क्रमांक– प. 21(32) प्राशि / आयो / 2017 पार्ट जयपुर दिनांक– 08.08.2018 द्वारा नवीन पुनर्गठित व्यवस्था के अनुसार राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा समग्र शिक्षा योजनान्तर्गत एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई है। राज्य स्तर पर की गई उक्त पुनर्गठन की व्यवस्था के अनुसरण में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के जिला स्तरीय कार्यालयों में कार्यरत **कार्यक्रम अधिकारी (वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड–II)** की योग्यता के पद समाप्त किये जाने के कारण सम्बन्धित नियन्त्रण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीन कार्यरत उक्त श्रेणी के कार्यक्रम अधिकारियों को **तत्काल प्रभाव** से उनके मूल विभाग के लिए कार्यमुक्त करें।

उक्त के सम्बन्ध में निम्नांकित निर्देशों की भी पालना की जावेः–

1. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के जिला कार्यालयों में कार्यरत कार्यक्रम अधिकारी जो वरिष्ठ अध्यापक के समकक्ष योग्यता रखते हैं, उन्हें मूल विभाग के लिए कार्यमुक्त किया जावे।
2. कार्यक्रम अधिकारी जो व्याख्याता स्तर की योग्यता के साथ कार्यरत है या जिन्हें प्रोफार्मा पदोन्नति पर परियोजना में ही कार्यरत रखा गया है, उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जावे। ऐसे कार्मिकों के समग्र शिक्षा अभियान में समायोजन आदेश पृथक् से जारी किये जावेंगे।
3. कार्मिक को मूल विभाग हेतु कार्यमुक्त करने से पूर्व संबंधित अधिकारी कार्मिक की सेवा पुस्तिका से वर्तमान पद (केडर कन्ट्रोलर) की जॉच कर नियुक्ति अधिकारी के कार्यालय हेतु ही कार्यमुक्त करें।
4. कार्मिक के पातेय वेतन वरिष्ठ अध्यापक होने की स्थिति में कार्मिक के सेवा अभिलेख से पदोन्नत होने की पुष्टि कर वरिष्ठ अध्यापक (संबंधित विषय) के अनुसार सम्बन्धित उपनिदेशक कार्यालय हेतु कार्यमुक्त किया जावे तथा पदोन्नति नहीं होने की स्थिति में सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय हेतु कार्यमुक्त किया जावे।
5. वर्तमान में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के जिला स्तरीय कार्यालयों में कार्यक्रम अधिकारियों के पद पर प्रोफार्मा पदोन्नति प्राप्त कर व्याख्याता स्तर के समकक्ष पद

क्र/2

www.rajteachers.com

पर ही कार्यरत रहने के इच्छुक कार्मिकों के प्रस्ताव मय पदोन्नति आदेश परिषद मुख्यालय को प्रेषित किये जावें।

6. वर्तमान में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जिला स्तरीय कार्यालयों में कार्यक्रम अधिकारियों के पदों पर माननीय न्यायालय के निर्णय एवं स्थगन आदेशों के तहत कार्यरत कार्मिकों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। माननीय न्यायालय के निर्णय एवं स्थगन आदेश के तहत कार्यरत कार्मिकों की सूचना परिषद मुख्यालय को उपलब्ध करावें।

अतः उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करते हुए **तत्काल प्रभाव** से पालना कर **Email:- rajsmsaadm@gmail.com** पर अवगत करावें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(शिवांगी स्वर्णकार)
राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक–राप्राशिप / जय / संस्था–1 / सामान्य / 2018–19 / 6789 दिनांक 25/9 /2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद मुख्यालय जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
5. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक प्रथम / द्वितीय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
7. उपायुक्त (समस्त), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
8. उपनिदेशक प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा, समस्त संभाग।
9. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा (समस्त)
10. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, (समस्त)
11. अति॰ जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, (समस्त)
12. जिला प्रभारी अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान (समस्त)
13. प्रभारी शाला दर्पण / शाला दर्शन, परिषद मुख्यालय, जयपुर।
14. रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक

www.rajteachers.com

/

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल,, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,जयपुर–302017
दूरभाषः 0141–2709846 e-mail: aspdrmsaraj@gmail.com

क्रमांक–राप्राशिप/जय/संस्था–1/सामान्य/2018–19/6786 दिनांक–25 / 9 /2018

कार्यालय आदेश

स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के पत्र क्रमांक– प. 21(32) प्राशि/आयो/2017 पार्ट जयपुर दिनांक– 08.08.2018 द्वारा नवीन पुनर्गठित व्यवस्था के अनुसार राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् द्वारा समग्र शिक्षा योजनान्तर्गत एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई है। राज्य स्तर पर की गई उक्त पुनर्गठन की व्यवस्था के अनुसरण में सर्व शिक्षा अभियान के ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों में कार्यरत् **संदर्भ व्यक्ति (वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड–II)** की योग्यता के पद समाप्त किये जाने के कारण सम्बन्धित नियन्त्रण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीन कार्यरत उक्त श्रेणी के सन्दर्भ व्यक्तियों को **तत्काल प्रभाव** से उनके मूल विभाग के लिए कार्यमुक्त करें।

उक्त के सम्बन्ध में निम्नांकित निर्देशों की भी पालना की जावेः–

1. शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अध्यापक जो समग्र शिक्षा अभियान में स्वीकृत संदर्भ व्यक्ति के पद की समकक्ष योग्यता नहीं रखते उन्हें मूल विभाग के लिए कार्यमुक्त किया जावे।
2. संदर्भ व्यक्ति जो व्याख्याता स्तर की योग्यता के साथ कार्यरत या जिन्हें प्रोफार्मा पदोन्नति पर परियोजना में ही कार्यरत रखा गया है, उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
3. कार्मिक को मूल विभाग हेतु कार्यमुक्त करने से पूर्व संबंधित अधिकारी कार्मिक की सेवा पुस्तिका से वर्तमान पद (केडर कन्ट्रोलर) की जॉच कर नियुक्ति अधिकारी के कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करें।
4. कार्मिक के पातेय वेतन वरिष्ठ अध्यापक होने की स्थिति में कार्मिक के सेवा अभिलेख से पदोन्नत होने की पुष्टि कर वरिष्ठ अध्यापक (संबंधित विषय) के अनुसार सम्बन्धित उपनिदेशक कार्यालय हेतु कार्यमुक्त किया जाना तथा पदोन्नति नहीं होने की स्थिति में सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय हेतु कार्यमुक्त किया जावे।
5. पूर्व लोक जुम्बिश कार्मिकों एवं सन्दर्भ व्यक्ति (CWSN) के सम्बन्ध में पृथक् से निर्णय लिया जाना है। अतः यह आदेश पूर्व लोक जुम्बिश कार्मिकों पर लागू नहीं होगा।
6. वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान के ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों में सन्दर्भ व्यक्ति के पद पर प्रोफार्मा पदोन्नति प्राप्त कर व्याख्याता स्तर के समकक्ष पद पर ही कार्यरत रहने

क्र.2

www.rajteachers.com

के इच्छुक कार्मिकों के प्रस्ताव मय पदोन्नति आदेश परिषद मुख्यालय को प्रेषित किये जावें।

7. वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान के ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों में सन्दर्भ व्यक्तियों के पदों पर माननीय न्यायालय के निर्णय एवं स्थगन आदेशों के तहत कार्यरत कार्मिकों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। माननीय न्यायालय के निर्णय एवं स्थगन आदेश के तहत कार्यरत कार्मिकों की सूचना परिषद मुख्यालय को उपलब्ध करावें।
8. प्रत्येक ब्लॉक से कार्यरत संदर्भ व्यक्ति वरिष्ठ अध्यापक को कार्यमुक्त किये जाने पर समग्र शिक्षा के ब्लॉक कार्यालय में समकक्ष योग्यता के संदर्भ व्यक्तियों के समायोजन एवं नवचयनित संदर्भ व्यक्ति प्रतिनियुक्त किये जाने तक ब्लॉक कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों की संख्या शून्य हो सकती है। ऐसी स्थिति में परियोजना की गतिविधियों का संचालन निरन्तर होता रहे, इसकी व्यवस्था बनाये रखने के लिए सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) को व्यवस्थार्थ कार्मिक लगाये जाने के लिए अधिकृत किया जाता है।

अतः उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करते हुए **तत्काल प्रभाव** से पालना कर **Email:- rajsmsaadm@gmail.com** पर अवगत करावें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(शिवांगी स्वर्णकार)
राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक–राप्राशिप/जय/संस्था–1/सामान्य/2018–19/1787 दिनांक-25/9/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद मुख्यालय जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
5. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक प्रथम/द्वितीय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
7. उपायुक्त (समस्त), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
8. उपनिदेशक प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, समस्त संभाग।
9. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा (समस्त)
10. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, (समस्त)
11. अति० जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, (समस्त)
12. जिला प्रभारी अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान (समस्त)
13. प्रभारी शाला दर्पण/शाला दर्शन, परिषद मुख्यालय, जयपुर।
14. रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक

www.rajteachers.com

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल,, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,जयपुर–302017
दूरभाषः 0141–2709846 e-mail: aspdrmsaraj@gmail.com

क्रमांक–राप्राशिप/जय/संस्था–1/सामान्य/2018–19/ 6784 दिनांक– 25/9 /2018

कार्यालय आदेश

स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के पत्र क्रमांक– प. 21(32) प्राशि/आयो/2017 पार्ट जयपुर दिनांक– 08.08.2018 द्वारा नवीन पुनर्गठित व्यवस्था के अनुसार राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा समग्र शिक्षा योजनान्तर्गत एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई है। राज्य स्तर पर की गई उक्त पुनर्गठन की व्यवस्था के अनुसरण में सर्व शिक्षा अभियान के जिला स्तरीय कार्यालयों में कार्यरत **कार्यक्रम सहायक (वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड–II)** की योग्यता के पद समाप्त किये जाने के कारण सम्बन्धित नियन्त्रण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीन कार्यरत उक्त श्रेणी के कार्यक्रम सहायकों को **तत्काल प्रभाव** से उनके मूल विभाग के लिए कार्यमुक्त करें।

उक्त के सम्बन्ध में निम्नांकित निर्देशों की भी पालना की जावेः–

1. सर्व शिक्षा अभियान के जिला कार्यालयों में कार्यरत कार्यक्रम सहायक जो वरिष्ठ अध्यापक के समकक्ष योग्यता रखते हैं, उन्हें मूल विभाग के लिए कार्यमुक्त किया जावे।
2. कार्यक्रम सहायक जो व्याख्याता स्तर की योग्यता के साथ कार्यरत है या जिन्हें प्रोफार्मा पदोन्नति पर परियोजना में ही कार्यरत रखा गया है, उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जावे।, ऐसे कार्मिकों के समग्र शिक्षा अभियान में समायोजन आदेश पृथक् से जारी किये जावेंगे।
3. कार्मिक को मूल विभाग हेतु कार्यमुक्त करने से पूर्व संबंधित अधिकारी कार्मिक की सेवा पुस्तिका से वर्तमान पद (केडर कन्ट्रोलर) की जॉच कर नियुक्ति अधिकारी के कार्यालय हेतु ही कार्यमुक्त करें।
4. कार्मिक के पातेय वेतन वरिष्ठ अध्यापक होने की स्थिति में कार्मिक के सेवा अभिलेख से पदोन्नत होने की पुष्टि कर वरिष्ठ अध्यापक (संबंधित विषय) के अनुसार सम्बन्धित उपनिदेशक कार्यालय हेतु कार्यमुक्त किया जावे तथा पदोन्नति नहीं होने की स्थिति में सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय हेतु कार्यमुक्त किया जावे।
5. पूर्व लोक जुम्बिश कार्मिकों के सम्बन्ध में पृथक से निर्णय लिया जाना है। अतः यह आदेश पूर्व लोक जुम्बिश कार्मिकों पर लागू नहीं होगा।

क्र.2

www.rajteachers.com

6. वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान के जिला स्तरीय कार्यालयों में कार्यक्रम सहायकों के पद पर प्रोफार्मा पदोन्नति प्राप्त कर व्याख्याता स्तर के समकक्ष पद पर ही कार्यरत रहने के इच्छुक कार्मिकों के प्रस्ताव मय पदोन्नति आदेश परिषद मुख्यालय को प्रेषित किये जावें।
7. वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान के जिला स्तरीय कार्यालयों में कार्यक्रम सहायकों के पदों पर माननीय न्यायालय के निर्णय एवं स्थगन आदेशों के तहत कार्यरत कार्मिकों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। माननीय न्यायालय के निर्णय एवं स्थगन आदेश के तहत कार्यरत कार्मिकों की सूचना परिषद मुख्यालय को उपलब्ध करावें।
8. कार्यक्रम सहायक (वरिष्ठ अध्यापक) को कार्यमुक्त किये जाने पर समग्र शिक्षा के जिला कार्यालय में समकक्ष योग्यता के कार्मिक समायोजन एवं नवचयनित कार्यक्रम अधिकारी प्रतिनियुक्त किये जाने तक तथा जिला कार्यालयों में कार्यक्रम अधिकारियों की संख्या शून्य होने की स्थिति में समकक्ष योग्यता के कार्मिक व्यवस्थार्थ लगाये जाने हेतु सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) तदनुरूप प्रस्ताव तैयार कर परिषद कार्यालय को प्रेषित करें।

अतः उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करते हुए **तत्काल प्रभाव** से पालना कर **Email:- rajsmsaadm@gmail.com** पर अवगत करावें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(शिवांगी स्वर्णकार)
राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक–राप्राशिप/जय/संस्था–1/सामान्य/2018–19/6785 दिनांक 25/9/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद मुख्यालय जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
5. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक प्रथम/द्वितीय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
7. उपायुक्त (समस्त), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
8. उपनिदेशक प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, समस्त संभाग।
9. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा (समस्त)
10. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, (समस्त)
11. अति॰ जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, (समस्त)
12. जिला प्रभारी अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान (समस्त)
13. प्रभारी शाला दर्पण/शाला दर्शन, परिषद मुख्यालय, जयपुर।
14. रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक

www.rajteachers.com